

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 243वीं बैठक दिनांक 21.09.2020 को 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :—

1	श्री भास्कर ए. सावंत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल एवं प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	अध्यक्ष
3.	श्री पवन अरोड़ा	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
3	श्री आर. के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
4	श्रीमती संचिता बिश्नोई	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल—सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्री टी.रविकान्त द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :—

1	श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियंता प्रथम, राज.आवासन मण्डल
2	श्री घनश्याम बाधेला	मुख्य अभियंता द्वितीय, राज.आवासन मण्डल
3	श्री नरेन्द्र बोहरा	मुख्य अभियंता, मुख्यालय, राज.आवासन मण्डल
4	श्री अनिल माथुर	वरि. नगर नियोजक, राज. आवासन मण्डल
5	श्रीमती प्रीति सिंह पंवार	सम्पदा प्रबन्धक मुख्यालय
6	श्री घनश्याम कुमावत	उप वित्तीय सलाहकार
7	श्री प्रमोद कुमार वैष्णव	जन सम्पर्क अधिकारी

—:: कार्यवाही विवरण ::—

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
243.01	दिनांक 10.06.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 242वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 10.06.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 242वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
243.02	दिनांक 10.06.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 242वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्वित प्रतिवेदन का अवलोकनार्थ।	विचार—विमर्श उपरान्त दिनांक 10.06.2020 को सम्पन्न हुई मण्डल की 242वीं बैठक के निर्णयों के क्रियान्वित प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary
243.3	आवास विकास लिमिटेड (वर्तमान में रुडसिकों) विभाग में विभिन्न संवर्गों पर प्रतिनियुक्त हेतु निर्धारित रिजर्व पदों के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु।	प्रस्तावानुसार भविष्य में आवास विकास लिमिटेड (वर्तमान में रुडसिकों) विभाग में विभिन्न संवर्गों पर प्रतिनियुक्त हेतु निर्धारित रिजर्व पदों को कम किया जाकर ही पदोन्नति किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में आवास विकास लिमिटेड (वर्तमान में रुडसिकों विभाग) मंडल से कार्मिकों को प्रतिनियुक्त पर नहीं मौगे।	Secretary

243.4	मण्डल कार्मिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु अधिकृत निजी क्षेत्रों के अस्पतालों में लागू की गयी सी.जी.एच.एस. (Central Govt. Health Scheme) को समाप्त कर मण्डल की पूर्ववत् चिकित्सा पूर्णभरण सुविधा लागू करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मण्डल कार्मिकों की चिकित्सा सुविधा हेतु अधिकृत निजी क्षेत्रों के अस्पतालों में लागू की गयी सी.जी.एच.एस. (Central Govt. Health Scheme) को समाप्त कर मण्डल की पूर्ववत् चिकित्सा पूर्णभरण सुविधा लागू करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
243.5	राजस्थान आवासन मण्डल में राजस्व अर्जन व भूमि संबंधी मामलों में वसूली हेतु लेखाधिकारी वसूली के स्थान पर उपायुक्त राजस्व का पदनाम कर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल में राजस्व अर्जन व भूमि संबंधी मामलों में वसूली हेतु लेखाधिकारी वसूली के स्थान पर उपायुक्त राजस्व का पदनाम कर प्रतिनियुक्ति पर म्यूनिसिपल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
243.6	मण्डल द्वारा आवंटित प्लिंथ लेवल/स्केल्टन आवासों के निर्माण की समय सीमा में एक बारीय राहत दिये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मण्डल द्वारा आवंटित प्लिंथ लेवल/स्केल्टन आवासों के निर्माण की समय सीमा में एक बारीय राहत दिये जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
243.7	राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवास/फ्लैट जिनको आमजन को किराया क्रय पद्धति में आवंटन/निस्तारण हेतु ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित किया गया उनमें से शेष बचे आवास/फ्लैटों की लागत फ़ीज़ करने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के अधिशेष आवास/फ्लैट जिनको आमजन को किराया क्रय पद्धति में आवंटन/निस्तारण हेतु ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित किया गया उनमें से शेष बचे आवास/फ्लैटों की लागत फ़ीज़ करने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
243.8	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर/मानसरोवर आवासीय योजनाओं में सी.आर.पी.एफ. के लिए आरक्षित अधिशेष आवासों/फ्लैटों को प्रस्ताव अनुसार 0—25% एवं 0—50% स्लेब में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर/मानसरोवर आवासीय योजनाओं में सी.आर.पी.एफ. के लिए आरक्षित अधिशेष आवासों/फ्लैटों को प्रस्ताव अनुसार 0—25% एवं 0—50% स्लेब में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM

243.09	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0–25% एवं 0–50% स्लेब में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0–25% एवं 0–50% स्लेब में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
243.10	कोरोना संक्रमण काल से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों के कारण एक मुश्त भुगतान नहीं कर पा रहे आवंटियों/क्रेताओं को वर्तमान 156 मासिक किश्त आधारित योजना का लाभ दिये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार कोरोना संक्रमण काल से उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों के कारण एक मुश्त भुगतान नहीं कर पा रहे आवंटियों/क्रेताओं को प्रकरणवार अध्यक्ष महोदय के स्तर पर वर्तमान 156 मासिक किश्त आधारित योजना का लाभ दिये जाने के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
243.11	राजस्थान आवासन मण्डल के खण्ड/वृत्तों के पुनर्गठन के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के खण्ड/वृत्तों के पुनर्गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि जब भी भविष्य में आवश्यकता होगी तो वृत्त/खण्ड कार्यालयों का पुनः गठन किया जा सकेगा।	Secretary
243.12	मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना के अरावली एन्कलेव, न्यू सांगानेर रोड एवं द्वारका ट्रीवीन्स, बी-टू बाईपास, व्यास अपार्टमेन्ट व सरस्वती अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में माननीय विधायकगणों को फ्लैट आवंटन के संबंध में जारी मंत्रिमण्डल उप समिति की बैठक दिनांक 23.06.2020 के कार्यवाही विवरण को ग्रहण (adopt) करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार मण्डल की मानसरोवर आवासीय योजना के अरावली एन्कलेव, न्यू सांगानेर रोड एवं द्वारका ट्रीवीन्स, बी-टू बाईपास, व्यास अपार्टमेन्ट व सरस्वती अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में माननीय विधायकगणों को फ्लैट आवंटन के संबंध में जारी मंत्रिमण्डल उप समिति की बैठक दिनांक 23.06.2020 के कार्यवाही विवरण को ग्रहण (adopt) करने का अनुमोदन किया गया।	CEM
243.13	वित्तीय वर्ष 2019–20 (कर निर्धारण वर्ष 2020–21) के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (वैधानिक अंकेक्षक) की नियुक्ति हेतु जारी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 (कर निर्धारण वर्ष 2020–21) के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (वैधानिक अंकेक्षक) की नियुक्ति हेतु जारी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA

243.14	राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार बकाया वर्षों व अग्रिम 8 वर्षों की लीज राशि एक मुश्त लेकर लीज मुक्त करने व 10 वर्षों की एक मुश्त लीज लेकर भूखण्ड को फी होल्ड करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार बकाया वर्षों व अग्रिम 8 वर्षों की लीज राशि एक मुश्त लेकर लीज मुक्त करने व 10 वर्षों की एक मुश्त लीज लेकर भूखण्ड को फी होल्ड करने के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त आदेशों को लागू करने का निर्णय लिया गया।	FA
243.15	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 251/G-2(Corner) प्रताप नगर सांगानेर की बिड स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 251/G-2(Corner) प्रताप नगर सांगानेर की बिड राशि 20 करोड़ से अधिक होने के कारण बिड की स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
243.16	कोविड-19 के मद्देनजर आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा-विलेख /लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उप विभाजन/ पुर्णगठन, भू उपयोग परिवर्तन द्वारा राशि जमा कराने की अवधि 31.12.2020 तक छूट प्रदान करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार कोविड-19 के मद्देनजर आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा-विलेख /लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उप विभाजन/ पुर्णगठन, भू उपयोग परिवर्तन द्वारा राशि जमा कराने की अवधि 31.12.2020 तक छूट प्रदान करने के संबंध में जारी आदेश का अनुमोदन किया गया।	CEM
243.17	सहायक आवासन अधिकारी से सम्पदा प्रबन्धक/कार्मिक प्रबन्धक/ सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति करने के लिये शैक्षणिक योग्यता स्नातक विलोपित करने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार सहायक आवासन अधिकारी से सम्पदा प्रबन्धक/कार्मिक प्रबन्धक/ सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति करने के लिये शैक्षणिक योग्यता स्नातक विलोपित करने का निर्णय लिया गया तथा प्रस्तावानुसार मंडल सेवानियमों में संशोधन करके राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
243.18	श्री महेन्द्र सिंह भाटी को सूचना सहायक के पर दी गयी नवीन नियुक्ति के प्रकरण में पुनर्विचार के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात् संबंधित एडवोकेट से राय प्राप्त करने का निर्णय लिया गया एवं प्रकरण डेफर किया गया।	Secretary
243.19	सेक्टर 16, प्रताप नगर योजना, जयपुर में प्रस्तावित कोचिंग हब के आगे की भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित एवं संचालित 19 दुकानों की अतिक्रमित भूमि को मुक्त करवाने हेतु अतिक्रमियों को सेक्टर 7, पन्नाधाय सर्किल पर नियोजित व्यवसायिक स्थल में 21.60 वर्गमीटर क्षेत्रफल के नियोजित व्यवसायिक भूखण्डों को आवासीय भूमि की आरक्षित दर की दोगुनी दर पर आवंटन करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार सेक्टर 16, प्रताप नगर योजना, जयपुर में प्रस्तावित कोचिंग हब के आगे की भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित एवं संचालित 19 दुकानों की अतिक्रमित भूमि को मुक्त करवाने हेतु अतिक्रमियों को सेक्टर 7, पन्नाधाय सर्किल पर नियोजित व्यवसायिक स्थल में 21.60 वर्गमीटर क्षेत्रफल के नियोजित व्यवसायिक भूखण्डों को आवासीय भूमि की आरक्षित दर की दोगुनी दर पर आवंटन करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I

243.20	कार्यविधि नियम ई—ऑक्शन (अग्रेषित) की बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्यविधि नियम ई—ऑक्शन (अग्रेषित) की बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
243.21	नगर नियोजक सहायक/वास्तुविद सहायक से सहायक नगर नियोजक/सहायक वास्तुविद के पद पर पदोन्नति करने के लिये कार्य अनुभव 10 वर्ष के स्थान पर 02 वर्ष करने के संबंध में।	विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् नगर नियोजक सहायक/वास्तुविद सहायक से सहायक नगर नियोजक/सहायक वास्तुविद के पद पर पदोन्नति करने के लिये कार्य अनुभव 10 वर्ष के स्थान पर (राज्य सरकार में प्रभावी प्रावधानानुसार) 05 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। तथा तदनुरूप मण्डल सेवानियमों में संशोधन करके राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
243.22	अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS & IFS) के अधिकारियों हेतु आवासीय योजना "ALL INDIA Services Residency" बाबत्।	प्रस्तावानुसार अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS & IFS) के अधिकारियों हेतु आवासीय योजना "ALL INDIA Services Residency" की क्रियान्विति की स्वीकृति प्रदान की गई। चूंकि यह योजना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों से संबंधित है इसलिए इस संबंध में राज्य सरकार की सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।	CE-I FA
243.23	बाह्य स्त्रोत से वास्तुविद सेवायें लिये जाने हेतु विभिन्न श्रेणियों में दो वर्ष हेतु सूचीबद्ध किये गये वास्तुविद सलाहकारों के पैनल को संचालक मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं कार्योत्तर (Expostfacto) स्वीकृति हेतु।	प्रस्तावानुसार बाह्य स्त्रोत से वास्तुविद सेवायें लिये जाने हेतु विभिन्न श्रेणियों में दो वर्ष हेतु सूचीबद्ध किये गये वास्तुविद सलाहकारों के पैनल को संचालक मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं कार्योत्तर (Expostfacto) स्वीकृति प्रदान की गई।	CE (HQ)
243.24	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आमंत्रित EXPRESSION OF INTEREST 06/2020-21 अनुसार CHARTERED ACCOUNTANTS, COMPANY SECRETARIES, COST ACCOUNTANTS AND LEGAL PRACTITIONERS/FIRMS AS RERA CONSULTANTS के एम्पेनलमेंट के प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आमंत्रित EXPRESSION OF INTEREST 06/2020-21 अनुसार CHARTERED ACCOUNTANTS, COMPANY SECRETARIES, COST ACCOUNTANTS AND LEGAL PRACTITIONERS/FIRMS AS RERA CONSULTANTS के एम्पेनलमेंट के प्रस्ताव की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE (HQ)

243.25	आवासन मण्डल की 19 (उन्नीस) नवीन आवासीय योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के कर कमलों द्वारा दिनांके 22.08.2020 को मुख्यमंत्री आवास से शुभारम्भ करने एवं दिनांक 01.09.2020 से पंजीकरण प्रारम्भ करने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार आवासन मण्डल की 19 (उन्नीस) नवीन आवासीय योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के कर कमलों द्वारा दिनांके 22.08.2020 को मुख्यमंत्री आवास से शुभारम्भ करने एवं दिनांक 01.09.2020 से पंजीकरण प्रारम्भ करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE (HQ)
243.26	आकस्मिकता और समान आरक्षण रिजर्व Contingencies and Equalization Reserve (CER) की दरों को कम करने बाबत्।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय हेतु शून्य प्रतिशत तथा मध्यम आय वर्ग—अ, मध्यम आय वर्ग—ब, उच्च आय वर्ग हेतु 02 प्रतिशत की दर से आकस्मिकता और समान आरक्षण रिजर्व Contingencies and Equalization Reserve (CER) की दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।	FA
243.27	आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर दिनांक 30.9.2020 तक स्थिर रखने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं वर्ष 2020–21 की शेष अवधि के लिए विकसित भूमि दर स्थिर रखने के सम्बन्ध में।	प्रस्तावानुसार आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर दिनांक 30.9.2020 तक स्थिर रखने की कार्योत्तर स्वीकृति एवं वर्ष 2020–21 की शेष अवधि के लिए विकसित भूमि दर स्थिर रखने का निर्णय लिया गया।	FA
243.28	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 16, में प्रस्तावित कोचिंग हब की बाह्य विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाईट के कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 16, में प्रस्तावित कोचिंग हब की बाह्य विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाईट के कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
243.29	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 16 में प्रस्तावित कोचिंग हब में संस्थानिक ब्लॉक "A" के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1990.00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 16 में प्रस्तावित कोचिंग हब में संस्थानिक ब्लॉक "A" के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में राशि रु. 1990.00 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I

243.35	राजस्थान आवासन मण्डल की महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, नायला जयपुर की शेष आवासीय ईकाईयों को आमजन हेतु खोली गई विकेन्ड होम पंजीकरण योजना—2020 हेतु प्रति आवासीय ईकाई की लागत पूर्व में स्थिर की गई लागत रुपये 14.99 लाख अनुसार ही स्थिर रखने की प्रदान की गई स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, नायला जयपुर की शेष आवासीय ईकाईयों को आमजन हेतु खोली गई विकेन्ड होम पंजीकरण योजना—2020 हेतु प्रति आवासीय ईकाई की लागत पूर्व में स्थिर की गई लागत रुपये 14.99 लाख अनुसार ही स्थिर रखने की प्रदान की गई स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I
243.36	राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 16 में प्रस्तावित कोचिंग हब परियोजना की कियान्वति की प्रगति के अवलोकन बाबत्।	विस्तृत रूप में आर्किटेक्ट श्री ज्ञानेन्द्र सिंह शेखावत के प्रोजेक्टर स्क्रीन पर राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, जयपुर के सेक्टर 16 में प्रस्तावित कोचिंग हब परियोजना की कियान्वति की प्रगति का अवलोकन किया गया तथा संतोष व्यक्त किया गया।	CE-I
243.37	राजस्थान आवासन मण्डल की सेक्टर-26, प्रताप नगर जयपुर में प्रस्तावित मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना में अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग—अ एवं मध्यम आय वर्ग—ब के बहुमंजिले फ्लेट लागत को क्रमशः राशि रुपये 10.98 लाख, राशि रुपये 15.70 लाख एवं राशि रुपये 21.90 लाख पर स्थिर रखने के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की सेक्टर-26, प्रताप नगर जयपुर में प्रस्तावित मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना में अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग—अ एवं मध्यम आय वर्ग—ब के बहुमंजिले फ्लेट लागत को क्रमशः राशि रुपये 10.98 लाख, राशि रुपये 15.70 लाख एवं राशि रुपये 21.90 लाख पर स्थिर रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	CE-I
243.38	सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में इन्डोर बैडमिंटन हॉल के अधुरे निर्माण को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पूर्ण करवाने के संबंध में एजेन्सी चार्ज माफ किये जाने के निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में इन्डोर बैडमिंटन हॉल के अधुरे निर्माण को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पूर्ण करवाने के संबंध में एजेन्सी चार्ज माफ किये जाने के निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE (HQ)
243.39	राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा आवासों के निर्माण की गणुवत्ता सुनिश्चितता करने हेतु मोबोइल ऐप “RHB सजग” विकसित किया गया है की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा आवासों के निर्माण की गणुवत्ता सुनिश्चितता करने हेतु मोबोइल ऐप “RHB सजग” विकसित किया गया है की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	CE (HQ)

243.40	01 सितम्बर, 2019 से लेकर 15 सितम्बर, 2020 तक राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय हुई राशि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु।	प्रस्तावानुसार 01 सितम्बर, 2019 से लेकर 15 सितम्बर, 2020 तक राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर व्यय हुई राशि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विज्ञापन नीति 2014 के स्थान पर राज्य सरकार के विज्ञापन नियम 2001 (विशेषतः नियम 11(5)) एवं आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानानुसार विज्ञापन दिये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई तथा 5.00 लाख रुपये तक के Fix राशि के सजावटी एवं वर्गीकृत विज्ञापन आयुक्त के स्तर पर ही दिये जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।	PRO
243.41	राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0-25% स्लेब में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित करने हेतु अधिशेष आवासों/फ्लेट्स को प्रस्ताव अनुसार 0-25% स्लेब में ई-सबमिशन (E-submission) बुधवार नीलामी उत्सव में किराया क्रय पद्धति द्वारा आवंटन/निस्तारण की स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
243.42	दिनांक 21.07.2020 को प्रातः 10:15 बजे आवासन आयुक्त महोदय के कक्ष में विचार विमर्श अनुसार मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में अनिस्तारित छोटे व्यावसायिक भूखण्डों को “अपनी दुकान अपना व्यवसाय” योजना के तहत ई-बिड समबायिशन एवं ई-ऑक्शन से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं आउटडोर मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जावे।	प्रस्तावानुसार मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में अनिस्तारित छोटे व्यावसायिक भूखण्डों /निर्मित दुकानों को “अपनी दुकान अपना व्यवसाय” योजना के तहत ई-बिड समबायिशन एवं ई-ऑक्शन से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं आउटडोर मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जावे।	CEM
243.43	नवीन पंजीकरण योजनाओं में सफल आवेदकों द्वारा पंजीकरण निरस्त करने की मांग पर जमा राशि लौटाये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार नवीन पंजीकरण योजनाओं में सफल आवेदकों द्वारा पंजीकरण निरस्त करने की मांग पर जमा राशि लौटाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	FA

243.44	<p>दिनांक 01.01.2001 से आवंटित आवासों की बकाया मासिक किश्तों की राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ती में छूट पश्चात राशि जमा करवाने की दिनांक 30.06.2020 से 30.09.2020 तक बढ़ाने वाले।</p>	<p>विचार विमर्श उपरान्त राज्य सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति की अपेक्षा में दिनांक 01.01.2001 से आवंटित आवासों की बकाया मासिक किश्तों की राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज एवं शास्ती में छूट पश्चात राशि जमा करवाने की दिनांक 30.06.2020 से 31.12.2020 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p> <p>साथ ही दिनांक 01.01.2001 से पूर्व आवंटित आवासों के संबंध में भी उक्त छूट योजना का लाभ राज्य सरकार की स्वीकृति पश्चात् दिये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	FA
243.45	<p>किराया क्रय जमा राशि के समायोजन वाले।</p>	<p>प्रस्तावानुसार किराया क्रय जमा राशि के समायोजन वाले कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	FA
243.46	<p>आवास संख्या 5-सी-12, तलवण्डी कोटा का नियमितीकरण श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री वासुदेव रामचन्द्रानी के पक्ष में किये जाने वाले।</p>	<p>प्रस्तावानुसार आवास संख्या 5-सी-12, तलवण्डी कोटा का नियमितीकरण श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री वासुदेव रामचन्द्रानी के पक्ष में किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	CEM

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

243.47	<p>दिनांक 25.06.20 को नीलामी के माध्यम से निस्तारित व्यावसायिक भूखण्डों के आवंटन पत्र कार्यालय आदेश संख्या -सीआरओ/आम/2020-2021 46, दिनांक 25.06.2020 के तहत जारी के संबंध में।</p>	<p>प्रस्तावानुसार भिवाड़ी के 46 व्यावसायिक भूखण्डों के मांग पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	FA
243.48	<p>मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत प्रताप नगर में सेक्टर 3 व सेक्टर 28 तथा इन्दिरा गांधी नगर में सेक्टर 7 में GH-3 व GH-4 में बहुमंजिले फ्लेट्स के निर्माण के सम्बन्ध में।</p>	<p>मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत प्रताप नगर में सेक्टर 3 व सेक्टर 28 तथा इन्दिरा गांधी नगर में सेक्टर 7 में GH-3 व GH-4 में बहुमंजिले फ्लेट्स के निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति एवं क्रियान्विति की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	CE-I
243.49	<p>श्री सुभाष चन्द यादव, परियोजना अभियंता (वरि.) द्वारा अपने पुत्र के लिये इन्सुलिन पम्प की गारन्टी अवधि बढ़ाने की व्यय राशि रुपये 2,10,000/-के पुनर्भरण वाले।</p>	<p>प्रस्तावानुसार श्री सुभाष चन्द यादव, परियोजना अभियंता (वरि.) द्वारा अपने पुत्र के लिये इन्सुलिन पम्प की गारन्टी अवधि बढ़ाने की व्यय राशि रुपये 2,10,000/-के पुनर्भरण किये जाने का निर्णय लिया गया।</p>	FA

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


 (संचिता बिश्नोई)
 सचिव